

संख्या- 3254 / 15-7-06-16(105)/2005

प्रेषक,

बबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायिनेशन,
प्रगति हाउस तृतीय तल,
47-48, नेहरू प्लेस तृतीय तल,
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

खतक: दिनांक 05 सितम्बर, 2006

विषय:- चिल्ड्रेन एकेडमी भीरपुर ऐरा रोड लखीमपुर खीरी को आईओसीओएसओईओ नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

चिल्ड्रेन एकेडमी सिविल लाइन्स लखीमपुर खीरी को आईओसीओएसओईओ नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शतनारेक संख्या-3845/15-7-06-16(105)/2005 दिनांक 10-1-2006 द्वारा प्रेषित किया गया था। विचारण प्रबंधक द्वारा यह ज्ञापित कराया गया है कि विद्यालय का नव निर्मित भवन भीरपुर ऐरा रोड लखीमपुरखीरी में स्थित है तथा कक्षाएँ इसी भवन में संचालित होंगी। अतः मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि भीरपुर ऐरा रोड लखीमपुर खीरी के नवनिर्मित भवन में विद्यालय संचालन की अनापत्ति प्रमाण की जाती है। सिविल लाइन्स लखीमपुरखीरी स्थित पूर्ववर्ती/पुराने भवन में कक्षाओं का संचालन अनाम्य होगा।

2- प्रकरण में अग्रेतर धरमवादी क्षीप्र सम्पत्ति की जाय।

भवदीय,

(बबू राम)
अनु सचिव।

प्रसंख्या एवं दिनांक तद्वै

गतिविधि निम्नलिखित को सूचनार्थ गत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुरखीरी।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उओप्रओ, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, चिल्ड्रेन एकेडमी भीरपुर ऐरा रोड लखीमपुर खीरी।
- 6- गार्ड फुफ।

आज्ञा से,
(बबू राम)
अनु सचिव।